

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 339/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

गुरतेज सिंह पुत्र हकीक सिंह (फौत)

रेशम सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. सरजीत कौर पत्नी गोविन्द सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
2. शिरोशन सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
3. राजपाल कौर पुत्री गोविन्द्र सिंह पत्नी कर्मसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.गोनेयाणा तह.व जिला बठिण्डा (पंजाब)
4. चरणजीतकौर कौर पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुलजार सिंह पुत्र सरजीत कौर जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
6. जंगसिंह पुत्र बाज सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
7. विजय सिंह पुत्र दर्शनसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सि.तह.संगरिया
8. सतपाल सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र ईशर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
9. पप्पुसिंह पुत्र बाज सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
10. बख्तावर सिंह पुत्र सरजीत कौर जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
11. रणजीत कौर पुत्री सरजीत कौर जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया।
12. हरदीपसिंह पुत्र रूपसिंह पुत्र बाजसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.मोरजण्ड सि. तह.संगरिया।
13. सरजीतसिंह पुत्र रूससिंह पुत्र बाजसिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.मोरजण्ड सि. तह.संगरिया
14. गुरजण्टसिंह पुत्र लीलासिंह पुत्र संतासिंह जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.मोरजण्ड सि.तह.संगरिया
15. हजूर सिंह पुत्र केहर सिंह (फौत)
- 15/1 हरमन्द्र सिंह पुत्र हजूर सिंह
- 15/2 जगदेव सिंह पुत्र सरजीत सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति कुम्हार(प्रजापति)सा.मोरजण्ड सि.
- 15/3 हरचरण सिंह पुत्र जगजीत सिंह पुत्र हजूर सिंह तहसील संगरिया।
- 15/4 इकबाल सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र हजूर सिंह
16. हरमेल सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख सा.मोरजण्ड सि.तह.संगरिया।
17. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 17.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 10 एमजेडी

1. हरमेलसिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सि. की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/180	35	21,22/0.506

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. लीलासिह पुत्र संता सिह (फौत वारिसान काश्त) जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/181	36	5/1/0.072 मिन, (पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा में) 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/.0253

3. पप्पु सिह पुत्र बाज सिह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/181	36	1/0.100 मिन,
143/181	37	10/0.253

4. रूस सिह (फौत वारिसान काश्त) जंग सिह पि.बाज सिह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/181	36	1/0.140 मिन (उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में) 2/0.058 (किला नं. 1 से चिपता), 8,9/0.506

5. रोशन हिंस पुत्र गोविन्द सिह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/181	36	3/0.019 मिन (किला नं. 4 से चिपता) 4/0.240 मिन, 5/1/0.144 मिन, 5/2/0.025 गै.मु.खाला

6. रेशमसिह पुत्र गोविन्दसिह जाति जटसिख नि.मोरजण्ड सिखान की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/181	36	2/0.182 मिन, 3/0.221 मिन

7. हरमेल सिह पुत्र बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सि. की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/180	35	21,22/0.506

8. लीलासिह पुत्र सन्ता सिह (फौत) 1/3 हि. रूस सिह पप्पुसिह जंग सिह पि. बाज सिह बहिंब 1/3 हि. रोशन सिह, रेशम सिह पि. गोविन्द सिह 1/3 जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/181	36	1/0.013, 2/0.013, 3/0.013, 4/0.013, 5/1/0.012,

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंभा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3431 दिनांक 19.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....17.2.2026.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकांश संगरिया
संगरिया